न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी
राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का बागोट

बनाम

अप्रार्थी :– श्री अब्दुल गफूर उर्फ हीरू पुत्र गन्नी जाति लोहार निवासी बागोट
अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956
प्रकरण संख्या 04/19

निर्णय दिनांक 13/06/2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बागोट ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद बागोट के ख.न 559 रकबा 0.04 है. भूमि किस्म गै.मु.रास्ता में कब्जा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी को स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 06.03.19 को अप्राथी की तरफ से वकील देवेन्द्र मालागार ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा,जो शामिल मिसल है। न्यायहित मे समय दिया गया। प्रार्थी आज दिनांक 13.6.2019 को अनुपस्थित रहा इस लिए अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6.3 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिक्रमित रकबा 0.04 है. भूमि के 0.25 रूपये लगान का 50 गुणा 13/– अक्षरे तेरह रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता हैं। जुर्माना राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर एंव भू.अ.निरीक्षक बागोट को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

2019-20 ... 05 ... 13/– ... रु0 की

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार परबतसर
13.6.19

Scanned by CamScanner